पश्चाश टका पञ्चाश टाका पचास रुपिया ఏబది రూపాయలు ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು അമ്പത് രൂപ पन्नास रुपये ପଚାଶ ଟଙ୍କା ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ पञ्चाशद् रूप्यकाणि

अपराक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO PIO PGCIL Nuinsiwal को

पचास रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES FIFTY ONLY

₹50

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें।

कमीशन COMMISSION रुपए 5 RUPEES

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

AJIT SINGH Adv
Ch No-419
Distt Court BWN

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER
8-1-24

सत्यमेव जयते

वैधता- जारी करने के महिने के अंतिम दिन से 24 महिने और व्दितिय कमिशन के भुगतान जारी करने के महिने की अंतिम दिन से 36 महिने।
Validity- 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

98G 598614

पूरी रकम वसूल पायी

RECEIVED the full amount

पानेवाले के हस्ताक्षर PAYEE'S SIGNATURE

भारतीय डाकघर नियमावली के नियमों एवं शर्तों के अनुसार जारी

ISSUED SUBJECT TO THE RULES AND CONDITIONS IN THE IPO RULES.

प्र.मु.है / S.P.P.HYD

98G 598614

पञ्चाश टका पञ्चाश टाका पचास रुपिया ଏକଶ୍ରୋ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು پچاس روپے അമ്പതു രൂപ पन्नास रुपये ପଚାଶ ଟଙ୍କା ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ पञ्चाशत् रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO PIO
PGCIL Nimriwali को

पचास रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES FIFTY ONLY

₹50

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें ।

कमीशन COMMISSION रुपए 5 RUPEES

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे ।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

AJIT SINGH Adv.
Ch No-419
Distt Court BWN

सत्यमेव जयते

जारी करने वाले कार्यालय की तारीख सहित मुहर
ISSUING OFFICE STAMP WITH DATE

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER
8-1-24

भुगतान करने वाले कार्यालय की तारीख सहित मुहर
PAYING OFFICE STAMP WITH DATE CANCELLING THIS ORDER

वैधता- जारी करने के महिने के अंतिम दिन से 24 महिने और व्दितिय कमिशन के भुगतान जारी करने के महिने की अंतिम दिन से 36 महिने।
Validity- 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

98G 598613

पूरी रक़म वसूल पायी
RECEIVED the full amount

पानेवाले के हस्ताक्षर PAYEE'S SIGNATURE

भारतीय डाकघर नियमावली के नियमों एवं शर्तों के अनुसार जारी
ISSUED SUBJECT TO THE RULES AND CONDITIONS IN THE IPO RULES.

प्र.मु.है / S.P.P HYD

पावरग्रिड भिवानी
डाक प्राप्ति सं० 2587
दिनांक 15/1/24

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

सेवा में,

श्रीमान जनसूचना अधिकारी
पावर ग्रीड कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड
765 / 400 के वी सब स्टेशन
गांव निमड़ीवाली तहसील व जिला भिवानी।

प्रार्थी तथा पिता का नाम : अजीत सिंह एडवोकेट पुत्र श्री अखेराम
चैम्बर नंबर 419 जिला न्यायालय भिवानी।
मो0–9813831675

श्रीमान् जी,

प्रार्थी के खेत जिसका किला नंबर 88 / 5 खेवट नंबर 309 वाका मौजा ढाणा नरसान, तहसीलव जिला भिवानी में आपके विभाग द्वारा अगस्त 2020 में भिवानी से मेरठ 765 के वी बिजली ट्रांसमिशन लाईन के टावर नंबर 2.0 पर टावर के चारों टांगों की फाउंडेशन की मजबूती लिए अर्थ मूवर मशीन द्वारा टावर के चारों टांगों के फाउंडेशन की खुदाई का कार्य तथा उसके बाद लोहे के सरियों, कंक्रीट और सिमेन्ट से दोबारा फाउंडेशन बनाया गया था। यह कार्य आपके विभाग के अधिकारियों एस के त्यागी व तुषार द्वारा किया गया था। प्रार्थी को आर.टी.आई. एक्ट 2005 के तहत आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूओं सम्बन्धित सूचनाएं प्रदान की जाएं जो कि इस प्रकार हैं:–

1. यह कि आपके विभाग द्वारा अर्थ मूवर मशीन द्वारा टावर की टांगों की फाउंडेशन के लिए जमीन को कितनी लम्बाई, चौड़ाई तथा गहराई में खोदा गया था और इस काम के लिए अर्थ मूवर मशीन को कितना समय लगा। खुदाई के एवज में आपके विभाग द्वारा कितनी राशि दी गई थी। तमाम जानकारी की सत्यापित कापियां।
2. यह कि आपके विभाग द्वारा दिनांक 31.10.2020 को प्रार्थी के नाम जो मुआवजा फार्म नोटिस नंबर 37 बुक नंबर 03 भर कर दिया गया था उसकी सत्यापित कापी।
3. यह कि आपके विभाग द्वारा दोबारा से फाउंडेशन बनाने की जरूरत किस कारण हुई

तथा किस अधिकारी द्वारा इस कार्य को करने की मंजूरी दी थी। तमाम दस्तावेजों की सत्यापित कापियां।

4. यह कि आपके विभाग द्वारा प्रार्थी को उसके खेत में उपरोक्त कार्य करने के लिए किस किस प्रकार का कितना मुआवजा दिया गया था। तमाम दस्तावेजों की सत्यापित कापियां।

5. यह कि आपके विभाग द्वारा प्रार्थी के खेत में दोबारा से टावर का फाउंडेशन बनाया गया है उसमें कितनी लम्बाई, चौड़ाई और गहराई तक सरिया, कंक्रीट और सिमेन्ट डाल कर पक्का किया गया था। तमाम जानकारी की सत्यापित कापियां।

6. यह कि उपरोक्त कार्य करते समय प्रार्थी के खेत में कितना सरिया, सिमेन्ट, केसर, तथा कंक्रीट आदि डाला गया था। बिलों सहित तमाम जानकारी की सत्यापित कापियां।

7. यह कि उपरोक्त कार्य करने में आपके विभाग द्वारा किस किस प्रकार का खर्चा किस किस कार्य में किया गया। तमाम खर्चे की बिलों सहित सत्यापित कापियां।

8. यह कि प्रार्थी के खेत में दोबारा फाउंडेशन किया गया था वो जमीन से कितनी ऊंचाई, लम्बाई तथा चौड़ाई तक बनाये गये थे। तमाम जानकारी की सत्यापित कापियां।

9. यह कि उपरोक्त कार्य करने के बाद प्रार्थी के खेत में कितने वर्ग फुट जमीन में खेती नहीं हो सकती है और कितनी जमीन में ट्रेक्टर बिजाई ना होने के कारण खाली रहती है। तमाम जानकारी की सत्यापित कापी।

10. यह कि प्रार्थी के खेत में बने टावर के दोनों तरफ कितनी मीटर की लम्बाई तक कोई भी कुंआ, मकान, पेड़ तथा अन्य निर्माण नहीं कर सकता। उस आदेश की सत्यापित कापी।

11. यह कि प्रार्थी के खेत में जो टावर नंबर 2.0 बनाया गया है वह कितने वर्षों तक उसके खेत में बना रहेगा। तमाम जानकारी की सत्यापित कापी।

12. यह कि प्रार्थी के खेत में जो टावर नंबर 2.0 बनाया गया है उस पर आपके विभाग द्वारा कितने समय बाद रूटीन में क्या क्या काम किये जाते हैं और अब तक इस

टावर पर कितनी बार किस किस तरह का कार्य हो चुका है। तमाम जानकारी की सत्यापित कापी।

13. यह कि प्रार्थी के खेत में जो टावर नंबर 2.0 बनाया गया था वह कब बनाया गया था और उस समय उसके लिए प्रार्थी को कितना कितना मुआवजा कब कब दिया गया। मुआवजा फार्मों सहित तमाम जानकारियों की सत्यापित कापियां।

14. यह कि आपके विभाग द्वारा प्रार्थी के खेत में जो बनाया गया टावर नंबर 2.0 के बाबत प्रार्थी के अतिरिक्त किस किस व्यक्ति को कितना कितना मुआवजा किस किस बाबत दिया गया था। उन सभी व्यक्तियों के मुआवजा फार्मों सहित तमाम जानकारी की सत्यापित कापियां।

15. यह कि भिवानी से मोगा 765 के वी ट्रांशमिशन लाईन जो कि प्रार्थी के खेवट नंबर 309 किला नंबर 83//24/2 में बिजली की लाईन बिछाई गई थी उसकी बाबत प्रार्थी को कितना मुआवजा दिया गया था और वह लाईन कब बिछाई गई थी। मुआवजा फार्म सहित तमाम जानकारी की सत्यापित कापियां।

16. यह कि प्रार्थी के खेत में जो भिवानी से मोगा 765 के वी ट्रांशमिशन लाईन बिछाई गई थी उस लाईन में बने खम्बों की मियाद कितने सालों की है तथा मियाद समाप्त होने के बाद क्या उसी स्थान पर दोबारा लाईन के लिए खम्बे लाये जाएंगें। तमाम जानकारी की सत्यापित कापियां।

17. यह कि प्रार्थी के खेत में जो भिवानी से मोगा 765 के वी ट्रांशमिशन लाईन बिछाई गई थी उस लाईन के दोनों तरफ कितनी मीटर की लम्बाई तक कोई भी कुंआ, मकान, पेड़ तथा अन्य निर्माण नहीं कर सकता। उस आदेश की सत्यापित कापी।

18. यह कि प्रार्थी के खेत खेवट नंबर 309 किला नंबर 83//24/2 व 88/5 वाका मौजा ढाणा नरसान में भिवानी से मोगा 765 के वी ट्रांशमिशन लाईन बिछाई गई थी व 88/5 में भिवानी से मेरठ टावर नंबर 2.0 बनाया गया था उनमें प्रार्थी को क्या फसल या पेड़ों के नुकसान के साथ जमीन का कोई मुआवजा क्यों नहीं दिया गया था क्योंकि आपके विभाग द्वारा किये गये दोनों कार्यों में प्रार्थी की डेढ़ एकड जमीन समाप्त हो गई। आदेश की सत्यापित कापी तथा तमाम जानकारी की सत्यापित कापी।

19. यह कि टावर नंबर 2.0 के खेत की मिट्टी जरूरत होने पर क्या प्रार्थी उठवा सकता है। यदि उठवा सकता है तो कितनी फुट तक उठवा सकता है। इस कार्य के लिए प्रार्थी को किस विभाग या अधिकारी से इजाजत लेनी होगी। तमाम जानकारी की सत्यापित कापी।

20. यह कि प्रार्थी के खेत खेवट नंबर 309 किला नंबर 83//24/2 व 88/5 वाका मौजा ढाणा नरसान में भिवानी से मोगा 765 के वी ट्रांशमिशन लाईन बिछाई गई थी व 88/5 में भिवानी से मेरठ टावर नंबर 2.0 बनाया गया था उनमें प्रार्थी भविष्य अपनी रिहायश के लिए मकान कुंआ आदि बना सकता है या नहीं। यदि बना सकता है तो किस अधिकारी या विभाग से इजाजत लेनी होगी। तमाम जानकारी की सत्यापित कापी।

21. यह कि आपके विभाग द्वारा प्रार्थी के खेत में दोबारा जो टावर नंबर 2.0 का फाउंडेशन बनाया गया था उसकी खुदाई के बाद खेत उबड़ खाबड़ हुआ और उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो गई थी जिसके कारण खेत को समतल करवाने व उसमें प्रार्थी ने हजारों रुपयों के खाद व अन्य उर्वरक डाले गए थे। इस हुए नुकसान का भुगतान प्रार्थी को क्यों नहीं दिया गया। कारण सहित पूरा विवरण की सत्यापित कापी।

22. यह कि प्रार्थी के खेत में टावर नंबर 2.0 लगाने से तथा दोबारा फाउंडेशन बना कर लगभग आधा एकड़ जमीन को कंक्रिट आदि डाल कर पक्का किया गया था जिसके कारण प्रार्थी की जमीन को स्थाई रुप से बर्बाद कर दिया। उस जमीन के नुकसान का मुआवजा आपके विभाग द्वारा क्यों नहीं दिया गया। कारण सहित तमाम जानकारी की सत्यापित कापी।

23. यह कि प्रार्थी के खेत से दो लाईन व टावर उसके किला नंबर 83//24/2 व 88/5 में बनाया गया है उस बिजली के 765 के वी के रडियेशन से हर साल दोनों फसलों की उपजाऊ शक्ति पर असर पड़ता है और इससे दूसरे खेतों की अपेक्षा कम फसल होती है। प्रार्थी को हो रहे नुकसान व बिजली की हाई टैंशन लाईन के नीचे काम करने से आने वाले करंट लगने पर उसके नुकसान की भरपाई की जिम्मदारी किस अधिकारी की होती है। तमाम जानकारी की सत्यापित कापी।

24. यह कि आपके विभाग द्वारा गांव निमड़ीवाली तथा आस पास के गावों के खेतों में लगने वाले टावरों के लिए प्रति टावर 5.50 लाख रुपये देने का कमिशनर भिवानी द्वारा आदेश दिया गया था उस आदेश की सत्यापित कापी।

25. यह कि आपके विभाग द्वारा प्रार्थी के खेत में दोबारा टावर नंबर 2–0 भिवानी से मेरठ लाईन बनाया गया था, उसकी खुदाई के बाद खेत जो कि उबड़–खाबड़ हो गया था और उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो गई थी प्रार्थी द्वारा खेत को समतल करवाने तथा खाद व अन्य उर्वरक डाले गये थे जिसमें प्रार्थी का बहुत नुकसान हुआ था। आपके विभाग द्वारा तमाम प्रकार का मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया था वो अभी तक क्यों नहीं दिया। स्पस्टीकरण की सत्यापित कापी।

26. यह कि आपके विभाग द्वारा प्रार्थी के खेत में दोबारा टावर नंबर 2–0 भिवानी से मेरठ लाईन के लिए टावर का दोबारा फाऊंडेशन बना कर लगभग एक एकड़ जमीन किला नंबर 88/5 वाका मौजा ढाणा नरसान में जमीन को कंक्रीट, सिंमेट और सरिसा डाल कर पक्का किया गया था जिसके कारण प्रार्थी की जमीन स्थाई रुप से बर्बाद करके उसका लाखों रुपयों का नुकसान हुआ था। उस जमीन की उपजाऊ शक्ति भी सीाई रुप से समाप्त हो गई है। उस जमीन के नुकसान का मुआवजा आपके विभाग द्वारा क्यों नहीं दिया गया। स्पस्टीकरण की सत्यापित कापी।

27. यह कि प्रार्थी के खेत में किला नंबर 83//24/2 में भिवानी से मोगा बिजली लाईन व 88/5 में भिवानी से मेरठ बिजली लाईन का टावर बनाया गया था उस 765 के वी रेडिएशन से प्रार्थी के खेत में दूसरे खेतों की अपेक्षा कम पैदावार होती है। फसल के समय जो बिजली लाईन के नीचे कृषि का काम करने वाले व्यक्ति को करंट लगता है तो उसके नुकसान की भरपाई आपके विभाग द्वारा क्यों नहीं की गई। स्पष्टीकरण की सत्यापित कापी।

28. यह कि आपके विभाग द्वारा भिवानी से मेरठ बिजली लाईन के लिए टावर बनाए गये थे उन टावरों में घटिया सामग्री लगाने के कारण दोबारा बनाया गया था। जिससे

प्रार्थी के खेत में टावर नंबर 2.0 का दोबारा फाउंडेशन बनाया गया था। इस मामले में आपके विभाग के किन किन अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस जांच हुई थी और उस जांच में कौन कौन अधिकारी –कर्मचारी दोषी पाए गये थे तथा उनके खिलाफ आपके विभाग द्वारा क्या कार्यवाही अमल में लाई गई थी। विजिलेंस जांच की पूरी जानकारी की सत्यापित कापी।

29. यह कि भिवानी से मोगा 765 के वी बिजली लाईन जो प्रार्थी के खेत में किला नंबर 83//24/2 के बीच से निकाली गई है तथा किला नंबर 88/5 में भिवानी से मेरठ बिजली का टावर बनाया गया है। ये खेत पावर ग्रीड ढाणा नरसान के सामने गांव निमड़ीवाली से अजीत पुर गांव के मुख्य सड़क मार्ग पर है जिसकी कीमत पहले 50 लाख रुपये प्रति एकड़ थी जो इस काम के होने के बाद अब बिलकुल समाप्त हो गई है। प्रार्थी की जमीन की बाजार कीमत का मुआवजा अभी तक क्यों नहीं दिया गया। पूरी जानकारी की सत्यापित कापी।

नोटः यह कि मांगी गई जानकारी मनप्रार्थी को न्यायालय में पेश करनी है इसलिए जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाई जाए।

भिवानी प्रार्थी

दिनांकः 8-1-2024

अजीत सिंह एडवोकेट पुत्र श्री [illegible]खेराम चैम्बर नंबर
419 जिला न्यायालय भिवानी मो0–9813831675

नोटः यह कि मांगी गई जानकारी मनप्रार्थी को न्यायालय में पेश करनी है इसलिए जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाई जाए।
98G-598614-5[illegible]
100/रू0 का पोस्टल आर्डर नंबर 98G-598613-5[illegible] संलग्न है।
यदि इस बाबत कोई अतिरिक्त फीस बनती है तो प्रार्थी उसे देने का पाबंद रहेगा।

सेवा में :

जन सूचना अधिकारी,
पावर ग्रीड कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड
765/400 के० वी० सब स्टेशन,
झाड़ीवाली - अजीतपुर अप्रोच रोड,
गाँव - झाड़ीवाली
तह० व जिला - भिवानी
पिन - 127311

(1)

अजीत सिंह एडवोकेट
चैम्बर नं - 519
जिला न्यायालय
भिवानी
127021
9813831675

H621576571IN
ounter No:1.08/01/2024.12:58

---

mt:31.86(Cash)Wt:35gms
REG=17.0

---

rom:MIMI SECT BHIWANI SO <127021>
rom: Hub
o: Hub
el PO:Neemariwali PO<127311>